

राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई,
उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड

आजीविका भवन, विकास भवन सर्वेचौक देहरादून दूरभाष 0135-2970165/8755645559(m)

पत्रांक 178 / 09 / यू0एस0आर0एल0एम /2013

दिनांक 23 मई 2017

अभिव्यक्ति की अभिरूचि

उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के उपयोगार्थ वायुयान एवं रेल टिकट बुकिंग हेतु प्रतिष्ठित, अनुभवी एवं पंजीकृत फर्मों को सूचीबद्ध करने हेतु दिनांक 12-06-2017 दोपहर 1.00 बजे तक मोहरबन्द लिफाफे में तकनीकी एवं वित्तीय निविदा आमंत्रित की जाती है (तकनीकी एवं वित्तीय निविदा पृथक-पृथक लिफाफे में होना चाहिए)। निविदा प्रपत्र एवं तत्सम्बन्धी विस्तृत जानकारी आजीविका मिशन की विभागीय वेबसाइट www.usrlm.uk.gov.in से download किया जा सकता है। प्राप्त निविदाएं दिनांक 12.06.2017 को अपराह्न 4.00 बजे आजीविका मिशन कार्यालय में क्रय समिति द्वारा खोली जाएगी। सफल निविदा की दरे आगामी एक वर्ष के लिए मान्य होगी। अधोहस्ताक्षरी को बिना कोई कारण बताये किसी या सभी निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
यू0एस0आर0एल0एम0

राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई,
उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड

आजीविका भवन, विकास भवन सर्वेचौक देहरादून दूरभाष 0135-2970165/8755645559(m)

हवाई टिकट/रेल टिकट आरक्षण सम्बन्धी फर्म को सूचीबद्ध करने हेतु निविदा सूचना

निविदा जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	: दिनांक 12.06.2017 01:00 बजे तक
निविदा खोले जाने की तिथि एवं समय	: दिनांक 12.06.2017 04.00 बजे तक
निविदा की उपलब्धता	: www.usrlm.uk.gov.in
निविदा मूल्य	: रूपया 500 /-
धरोहर धनराशि	: रूपया..5,000 /-

समस्त निविदादाताओं को हवाई टिकट बुकिंग में दिए जाने वाली छूट का उल्लेख निविदा में करना होगा।


निविदादाता के हस्ताक्षर
मोंहर सहित

राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई,
उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड

चैक लिस्ट तकनीकी निविदा

क्रमांक	विवरण	निविदादाता द्वारा भरा जाना है।
1	फर्म का नाम	
2	फर्म का पता, फोन नंबर, मेल सहित	
3	आयकर पंजीकरण संख्या (आयकर पैन कार्ड की कॉपी संलग्न करें)	
4	सेवा कर में पंजीकरण (पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)	
5	विगत तीन वर्षों को टर्न ओवर (रूपया में) 2013-14 2014-15 2015-16 (तीन वर्षों की बैलेंस शीट की प्रति संलग्न करें)	
6	सरकारी विभागों में जहाँ आपूर्ति कर रहे हैं (सूची एवं कार्य आवंटन पत्र की छायाप्रति संलग्न किया है)	
7	क्या निविदादाता ने शपथ पत्र संलग्न किया है?	हां/नहीं में उत्तर दें
8	क्या निविदादाता ने टेंडर फार्म मूल्य का डी0डी0 संलग्न किया है?	हां/नहीं में उत्तर दें
9	क्या निविदादाता ने धरोहर धनराशि जमा की है?	हां/नहीं में उत्तर दें

निविदादाता के हस्ताक्षर
मोहर सहित

**राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई,
उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड
(तकनीकी निविदा)**

हवाई यात्रा टिकट की व्यवस्था हेतु एजेंसी के चयन हेतु नियम एवं शर्तः-

1. अनुबंध वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए मान्य होगा। प्राप्त सेवाए यदि संतोषजनक पाई जाती है तो अनुबन्ध को दोनों पक्षों की सहमति से वर्ष समाप्ति पर अगले 1 वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जायेगा।
2. फर्म को आयकर में पंजीकृत होना आवश्यक है(आयकर पेन कार्ड की प्रति संलग्न करें)
3. फर्म द्वारा सर्विस टैक्स रजिस्ट्रेशन संख्या का उल्लेख निविदा में होना आवश्यक है वर्तमान रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की प्रति संलग्न करें)
4. फर्म का विगत तीन वर्षों वित्तीय वर्ष 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 में औसत टर्नओवर कम से कम रूपया 5 लाख होना चाहिए।
5. फर्म विगत 3 वर्षों से कार्यरत होनी चाहिए।
6. फर्म का शासकीय कार्य का अनुभव होना चाहिए (अनुभव प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें)
7. विगत 03 वर्षों 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 की अंकित बैलेंस शीट आय कर और सेवाकर के रिटर्न की प्रति संलग्न करें।
8. निविदा फार्म का मूल्य रूपया 500 डिमांड ड्राफ्ट/पे आर्डर के द्वारा राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई, एस0आर0एल0एम0 देहरादून के नाम में देय होगा। निविदा फर्म मूल्य वापस नहीं होगा।
9. धरोहर धनराशि रूपया 5000 जोकि राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई, एस0आर0एल0एम0 देहरादून के नाम में देय होगा।
10. धरोहर धनराशि रूपया पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
11. धरोहर धनराशि अनुबन्ध समाप्त होने के 49 दिन के बाद मांगने पर वापस की जाएगी।
12. फर्म किसी भी सरकारी विभाग द्वारा काली सूची में दर्ज न हो, इस संबंध में 10 रूपया के नॉन जुडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र दाखिल कराना होगा।
13. फर्म द्वारा वर्तमान में किये जा रहे कार्यों का संछिप्त विवरण दिया जाना होगा।(कार्य आवंटन पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करनी होगी)
14. स्वीकृत फर्म को उसी दर पर टिकट उपलब्ध करानी हेगी जो दरें फर्म ने निविदा में अंकित की है।
15. दरो में समस्त कर आदि शामिल रहेगे अतिरिक्त कोई भुगतान देय नहीं होगा।
16. सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जाएगी।
17. दरो पर कटिंग/अपलेखन वर्जित है।

18. यदि छूट की दर समान प्राप्त होती है तो पहले से कार्यरत एजेंसी को वरीयता दी जाएगी। अन्यथा की स्थिति में दर समान होने पर सरकारी विभाग में कार्यके अनुभव को वरीयता दी जाएगी।
19. बिल का भुगतान मासिक आधार पर किया जायेगा। नियमानुसार आयकर टी0डी0एस0 की कटौती की जाएगी।
20. निर्धारित समय के अन्दर मिशन कार्यालय में टिकट उपलब्ध करानी होगी अन्यथा की स्थिति में आदेश आंशिक या पूर्ण रूप से निरस्त किया जा सकता है। समुचित कारण न पाये जोन पर संबंधित फर्म की जमानत जब्त आदि किये जाने की कार्यवाही की जा सकती है।
21. किसी भी विवाद की स्थिति में मिशन निदेशक का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
22. मिशन निदेशक को समस्त अथवा कोई भी निविदा बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार होगा।
23. किसी भी विवाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्राधिकार देहरादून होगा।

दिनांक.....

स्थान.....

निविदादाता के हस्ताक्षर
मोहर सहित

**राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाई,
उत्तराखण्ड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन
ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड**

वित्तीय निविदा

1) विभिन्न एयरलाइन्स के धरेलु एवं विदेश हवाई टिकट बुकिंग के बेसिक हवाई यात्रा मुल्य पर दी जानी वाल छुट (प्रतिशत में)

क्रमांक	विवरण	हवाई यात्रा		
		धरेलु हवाई यात्रा पर छुट (बेसिक फेयर पर प्रतिशत में)	विदेश हवाई यात्रा पर छुट (बेसिक फेयर पर प्रतिशत में)	आरक्षण शुल्क अतिरिक्त यदि कोइ है।
1	हवाई यात्रा पर छुट (बेसिक फेयर पर प्रतिशत में)			
2	बुल्क बुकिंग (10 से अधिक यात्री टिकट) पर छुट (बेसिक फेयर पर प्रतिशत में)			
3	हवाई टिकट बुकिंग रद करने पर प्रति व्यक्ति/प्रति सेक्टर चार्ज			

2) रेल टिकट बुकिंग पर लिया जाने वाला प्रति व्यक्ति/पर सेक्टर सर्विस चार्ज कर विवरण।

क्रमांक	विवरण	रेल यात्रा पर चार्ज प्रति यात्री टिकट
1	रेल टिकट बुकिंग पर चार्ज प्रति व्यक्ति/प्रति सेक्टर	
2	तत्काल टिकट चार्ज	
3	बुल्क बुकिंग 10 से अधिक व्यक्तियों की बुकिंग पर रेल टिकट पर चार्ज	
4	रेल टिकट बुकिंग रद करने पर चार्ज	

निविदादाता के हस्ताक्षर
मोहर सहित